न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 1546–एक/2007 – विरूद्ध आदेश दिनांक 22–8–2007– पारित द्वारा – अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण क्रमांक 253/2006–07 अपील

1– मुस. महरनिया पत्नि स्व. पुसुआ

2– मोतीलाल पुत्र स्व. पुसुआ

ग्राम ऐलहा तहसील सिरमौर जिला रीवा ---आवेदकगण

विरूद्ध

तुलसीदास पुत्र रामजियावन

ग्राम ऐलहा तहसील सिरमौर जिला रीवा ---अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदक के विरूद्ध एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 15 - 11 -2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 253/2006–07 अपील में पारित आदेश दिनांक 22–8–07 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम ऐलहा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 80 रकबा 0.45 एकड़ (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) शासकीय अभिलेख में आवेदकगण के नाम थी, जिस पर तहसील न्यायालय सिरमौर के प्र.क्र.

10 अ-6-अ/2005-06 में पारित आदेश दिनॉक 2-12-2005 से अनावेदक का कब्जा दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर ने प्रकरण कमांक 233/अ-6-अ/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 5-6-2006 से तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 2-12-2005 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 253/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-8-07 से अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर के आदेश दिनांक 5-6-2006 को निरस्त करते हुये तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 2-12-2005 को यथावत् रखा। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को के कम में अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 253/2006-07 अपील में आये तथ्यों तथा पारित आदेश दिनांक 22-8-07 के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर आयुक्त व्दारा अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर के आदेश दिनांक 5-6-2006 को इस आधार पर निरस्त किया है क्योंकि स्थल पंचनामा अनुसार अनावेदक का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा दखल है एंव संहिता की धारा 121 के नियम 6, 7 , 8 तथा भू अभिलेख नियमावली के नियम 5 के अनुसार पटवारी मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति का निर्धारण करने के पश्चात् कब्जा दर्ज करेगा। यदि पटवारी के व्दारा अपने दायित्वों का पालन नहीं किया गया है तो किसी व्यक्ति के आवेदन पर कब्जा दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जाना चाहिये। इस प्रकार अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने वादग्रस्त भूमि पर अनावेदक का कब्जा तहसील न्यायालय व्दारा दर्ज करना विधिवत् मानते हुये अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त किया है जबकि

अपर आयुक्त, रीवा संभाग के समक्ष अनावेदक तुलसीदास साकेत द्वारा की गई अपील के पद 2 में इस प्रकार लेख किया है -

पद 2- **यह कि उक्त भूमि को जो कि मोतीलाल उत्तरवादी क 2 के हिस्से की भूमि थी। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 14-3-1995 अपंजीकृत विकय पत्र द्वारा मोतीलाल से खरीदा गया, विकय पत्र दिनांक से अपीलार्थी का उक्त भूमि में कब्जा दखल है। उक्त भूमि को मुवलिग 8000/- में गवाहान के समक्ष अदाकर अपीलार्थी द्वारा कय किया गया । तबसे लगातार अपीलार्थी काविज कास्त चला आ रहा है।**

विचार योग्य है यदि आवेदक ने 8000/-रू. में अपॅजीकृत दस्तावेज से भूमि कय की है - तब वादग्रस्त भूमि पर अपॅजीकृत दस्तावेज का बैधीकरण कराकर अनावेदक ने नामान्तरण कराने की कार्यवाही क्यों नहीं की ? वादग्रस्त भूमि का कय करने का बचन एंव कब्जे का अभिकथन अविश्वसनीय प्रतीत होते हैं और इन तथ्यों की जॉच की जाना तथा आवेदकगण को कब्जा दर्ज करने के पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये, जिसके कारण तहसील न्यायालय सिरमौर के प्र.क. 10 अ-6-अ/ 2005-06 में पारित आदेश दिनॉक 2-12-2005 , अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर द्वारा प्रकरण कमांक 233/अ-6-अ/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 5-6-2006 तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 253/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-8-07 एक-दूसरे के पूरक नहीं है ।

1. **बलबंत सिंह विरूद्व भगवानदास 1966 रा0नि0 403 का दृष्टांत है कि जब निष्कर्षो के लिये कोई आधार न दिये गये हों और जो कारण दिये गये हों वे अनुमानों पर आधारित एंव विशृंखल हों तब ऐसे आदेश में हस्तक्षेप करना चाहिये।**

2. **मोहम्मद कादिर विरूद्व नन्नू 1968 रा0नि0 90 में प्रतिपादित है कि जब निचले न्यायालय ने किसी महत्वपूर्ण तथ्य संबंधी प्रश्न का निर्णय न किया हो, तब मामला उसके निर्णय के लिये लौटा देना चाहिये।**

3. गोपाल सिंह विरूद्ध चिरोंजीलाल 1992 रा0नि0 390 में बताया गया है कि अपीलीय न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में विसंगति पायी जाय। अधीनस्थ न्यायालय को युक्तियुक्त निर्देश के साथ मामला लौटाना चाहिये।

उक्त से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय सिरमौर के प्र.क. 10 अ-6-अ/2005-06 में पारित आदेश दिनॉक 2-12-2005 , अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर द्वारा प्रकरण कमांक 233/अ-6-अ/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 5-6-2006 तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 253/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-8-07 परस्पर पूरक नहीं होने से दोषपूर्ण है जिसके कारण ऐसे आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 253/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-8-07 एंव अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 5-6-2006 तथा तहसील न्यायालय सिरमौर के प्र.क. 10 अ-6-अ/2005-06 में पारित आदेश दिनॉक 2-12-2005 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहसीलदार सिरमौर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमि के विक्रय पत्र पर एंव कब्जा सम्बन्धी तथ्यों पर पुर्नजॉच करें एंव समस्त हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर पुनः विधिवत् आदेश पारित करें।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर